[2019] 1 एससीआर 845।

जी. रत्ना राज (डी) वकीलों द्वारा

बनाम

श्री मुथुकुमारसामी स्थायी निधि लिमिटेड और अन्य

(सिविल अपील संख्या 2582-2583/2011)

01 फरवरी, 2019

[न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - आदेश 17, नियम 2, स्पष्टीकरण - की प्रयोज्यता - आदेश 17, नियम 2 के स्पष्टीकरण को आकर्षित करने के लिए, जिस पक्ष ने साक्ष्य का नेतृत्व किया है और साक्ष्य का पर्याप्त हिस्सा पेश किया है, यदि किसी भी दिन मामले की सुनवाई स्थगित कर दी जाती है, तो न्यायालय "ऐसे पक्ष" को उस दिन "उपस्थित" मान सकता है और तदनुसार मुकदमे में आगे बढ़ने के लिए सशक्त है। मामले में, प्रतिवादियों को एकतरफा कार्यवाही की गई - यह प्रतिवादी था जिसने साक्ष्य का नेतृत्व नहीं किया था और इसलिए, आदेश 17 का स्पष्टीकरण, नियम 2 लागू नहीं होगा - इसलिए, चूंकि प्रतिवादियों पर एकतरफा कार्रवाई की गई थी और उन्हें मुकदमे में कोई सबूत नहीं दिया गया था, इसलिए अदालत केवल आदेश 17, नियम 3 (बी) के तहत आगे बढ़ सकती थी, जिसे आदेश 17 के साथ पढ़ा जाता है। संहिता के आदेश 9 द्वारा इस संबंध में निर्देशित तरीकों में से एक का सहारा लेकर मुकदमे के निपटान के लिए नियम 2 - ट्रायल कोर्ट (एकल न्यायाधीश) ने आदेश 17, नियम 2 के संदर्भ में आदेश 9 नियम 6 (ए) का सहारा लेते हुए मुकदमे की एकतरफा सुनवाई शुरू की थी क्योंकि उस दिन, वादी उस समय मौजूद था जब मुकदमे को सुनवाई के लिए बुलाया गया था, जबकि प्रतिवादी समन की सेवा के बावजूद अनुपस्थित थे और तदनुसार, ट्रायल कोर्ट ने प्रारंभिक डिक्री पारित की - इस तरह की डिक्री आदेश 9, नियम 6 (ए) के अर्थ के भीतर एक "एकतरफा डिक्री" थी, जिसे आदेश 9, नियम 6 (ए) के साथ संहिता के नियम 9, नियम 13 के साथ पढ़ा गया था और इसलिए, प्रतिवादियों द्वारा पर्याप्त आधार बनाने पर केवल आदेश 9, नियम 13 के तहत निरस्त किया जा सकता है - उच्च न्यायालय की खंडपीठ को आदेश 9, नियम 13 के तहत प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर आवेदनों को स्वीकार करने में उचित ठहराया गया था और परिणामस्वरूप उक्त डिक्री को 'एकतरफा डिक्री' मानते हुए प्रारंभिक डिक्री को रद्द करने में उचित ठहराया गया था - उक्त आदेश के साथ हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है - ट्रायल कोर्ट को मुकदमे का फैसला करने का निर्देश दिया जाता है। कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर - एकपक्षीय डिक्री - पार्टी, उपस्थिति।

अपीलों को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा:

तत्काल मामले में वादी के साक्ष्य दर्ज किए गए और उसका केस भी बंद कर दिया गया। प्रतिवादियों को उस तारीख को एकतरफा रखा गया था जब प्रतिवादियों के साक्ष्य दर्ज करने के लिए मामला तय किया गया था, लेकिन उक्त तारीख पर प्रतिवादियों की अनुपस्थिति के कारण इसे दर्ज नहीं किया गया था। इस मामले में उत्पन्न होने वाली ऐसी स्थिति में, मामला आदेश 17 नियम 2 के स्पष्टीकरण के तहत नहीं आएगा क्योंकि स्पष्टीकरण को आकर्षित करने के लिए, "ऐसा पक्ष" जिसने साक्ष्य का नेतृत्व किया है या सबूत का पर्याप्त हिस्सा नेतृत्व किया है, यदि किसी भी दिन पेश होने में विफल रहता है जिस दिन मामले की सुनवाई स्थगित कर दी जाती है, न्यायालय "ऐसे पक्ष" को उस दिन "उपस्थित" के रूप में मान सकता है और तदनुसार मुकदमे में आगे बढ़ने का अधिकार है। यदि वादी अनुपस्थित रहा था और उसे साक्ष्य का नेतृत्व करते हुए पाया गया था, तो अदालत उचित आदेश पारित करने के लिए वादी को "उपस्थित" मानते हुए आदेश 17 नियम 2 के स्पष्टीकरण के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकती थी। हालांकि, यहां ऐसा नहीं है। इसी तरह, इसके विपरीत, यदि प्रतिवादी उस तारीख को अनुपस्थित रहे थे (जैसा कि इस मामले में हुआ है) और यदि यह देखा गया होगा कि उन्होंने उस तारीख से पहले पूरी तरह से या काफी हद तक सबूत ोंं को जोड़ा था, जिस तारीख को उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी, तो अदालत उचित आदेश पारित करने के लिए प्रतिवादियों को उस दिन "उपस्थित" मानते हुए संहिता के आदेश 17 नियम 2 के स्पष्टीकरण के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकती थी। सूट में। हालांकि, यहां ऐसा नहीं है। चूंकि प्रतिवादियों पर एकतरफा कार्यवाही की गई थी और उन्हें मुकदमे में कोई सबूत पेश नहीं करते हुए पाया गया था, इसलिए अदालत केवल आदेश XVII नियम 3 (बी) के साथ आदेश XVII नियम 2 के तहत मुकदमा निपटाने के लिए आदेश 9 द्वारा उस संबंध में निर्देशित तरीकों में से एक का सहारा लेकर आगे बढ़ सकती थी या कोई अन्य आदेश दे सकती थी जैसा कि वह उचित समझती है। ट्रायल कोर्ट (एकल न्यायाधीश) को कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर मूल वाद का फैसला करने का निर्देश दिया जाता है। [पारस 23-24, 26-28, 33] [853-ए-सी, डी-एफ; 854-एफ]

बी. जानकीरामैया चेट्टी बनाम ए. के. पार्थसारथी और अन्य (2003) 5 एससीसी 641: [2003] 3 एससीआर 369 - पर भरोसा किया गया।

केस कानून संदर्भ

[2003] 3 एससीआर 369 पर भरोसा किया गया

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2011 की सिविल अपील संख्या 2582-2583।

मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 11.01.2008 के निर्णय और आदेश से, 2006 के ओएसए संख्या 299 और 300 में।

अपीलकर्ताओं के लिए अम्बभोज कुमार सिन्हा, अश्वरिया सिन्हा, अधिवक्ता। आर. आनंद पद्मनाभन, प्रवाल चतुर्वेदी, सुश्री निशाका त्यागी, प्रमोद दयाल, एस. गौतमन, प्रतिवादियों के वकील।

अदालत का फैसला न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने सुनाया।

1. प्रतिस्थापन के लिए आवेदन की अनुमति है।

2. ये अपीलें मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 2006 के ओ.एस.ए. संख्या 299 और 300 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 11.01.2008 के खिलाफ निर्देशित की जाती हैं, जिसके तहत उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर अपीलों को अनुमति दी थी।

3. इन अपीलों में शामिल विवाद एक संकीर्ण कम्पास में निहित है। हालांकि, इसकी सराहना करने के लिए, नीचे दिए गए कुछ प्रासंगिक तथ्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता है।

4. मूल अपीलकर्ता-जी रत्ना राज (अब मृत हो चुके हैं और अब उनके कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है) वादी थे, जबकि प्रतिवादी नंबर 1 सिविल मुकदमे में प्रतिवादी नंबर 1 था, जिसमें से ये अपील ेां उत्पन्न होती हैं। प्रतिवादी संख्या 2 को दिनांक 06.02.2014 के आदेश द्वारा इस न्यायालय में पक्षकार प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया है।

5. मूल वादी (अपीलकर्ता) - जी रत्ना राज ने मद्रास उच्च न्यायालय में प्रतिवादियों (श्री मुथुकुमारस्वामी फंड लिमिटेड-प्रतिवादी नंबर 1 और बालाजी और अन्य) के खिलाफ एक सिविल मुकदमा संख्या 131/1999 दायर किया।

6. सेवा दिए जाने पर प्रतिवादियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की और अपना लिखित बयान दर्ज किया। ट्रायल कोर्ट ने दलीलों के आधार पर मुद्दे तैयार किए। वादी ने खुद को पीडब्ल्यू-1 बताया। प्रतिवादियों ने वादी से जिरह की। इसके बाद, वादी ने अपना मामला बंद कर दिया। तदनुसार मामले को प्रतिवादियों के साक्ष्य दर्ज करने के लिए पोस्ट किया गया था।

7. कार्यवाही के उस चरण में, प्रतिवादी मुकदमे में उपस्थित नहीं हुए और इसलिए, अदालत ने उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की। इसके बाद प्रतिवादियों के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से जारी रही। वादी ने इसके बाद कार्यवाही में खुद से फिर से पूछताछ कराई। हालांकि, प्रतिवादियों द्वारा उनसे फिर से पूछताछ नहीं की जा सकी क्योंकि वे पहले ही कार्यवाही में एकतरफा आगे बढ़ चुके थे।

8. ट्रायल कोर्ट (एकल न्यायाधीश) ने दिनांक 25.02.2003 के निर्णय/डिक्री द्वारा वाद संपत्ति के संबंध में प्रतिवादियों के खिलाफ एक प्रारंभिक डिक्री पारित की। इसके कारण प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा ट्रायल कोर्ट के समक्ष दो आवेदन (आईए नंबर 340/2006 और आईए नंबर 341/2006) दायर किए गए।

9. जहां तक आईए संख्या 341/2006 का संबंध है, इसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 9 नियम 13 (इसके बाद "कोड" के रूप में संदर्भित) के तहत दिनांक 25.02.2003 के प्रारंभिक डिक्री को रद्द करने के लिए दायर किया गया था और जहां तक आईए संख्या 340/2006 का संबंध है, इसे संहिता के आदेश 9 नियम 13 के तहत आवेदन दाखिल करने में देरी के लिए माफी के लिए दायर किया गया था।

10. दिनांक 14.03.2006 के आदेश द्वारा, एकल न्यायाधीश ने दोनों आवेदनों को खारिज कर दिया और कहा कि संहिता के आदेश 9 नियम 13 के तहत प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर आवेदन सुनवाई योग्य नहीं था क्योंकि दिनांक 25.02.2003 का प्रारंभिक डिक्री "एकतरफा डिक्री" नहीं था। दूसरे शब्दों में, उनका विचार था कि चूंकि दिनांक 25.02.2003 का प्रारंभिक डिक्री एकपक्षीय डिक्री नहीं थी, इसलिए संहिता के आदेश 9 नियम 13 के तहत एक आवेदन इसे रद्द करने के लिए दायर नहीं किया जा सकता था।

11. प्रतिवादी नंबर 1 ने व्यथित महसूस किया और उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की। आक्षेपित आदेश द्वारा, डिवीजन बेंच ने अपील ोां को अनुमति दी और एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया। डिवीजन बेंच ने कहा कि दिनांक 25.02.2003 का प्रारंभिक डिक्री ट्रायल कोर्ट (एकल न्यायाधीश) द्वारा सिविल मुकदमे में पारित एक पक्षीय डिक्री थी और इसलिए, संहिता के आदेश 9 नियम 13 के तहत प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर आवेदन यह पता लगाने के लिए सुनवाई योग्य था कि क्या संहिता के आदेश 9 नियम 13 के तहत ऐसी डिक्री को रद्द किया जा सकता है या नहीं।

12. इसलिए, डिवीजन बेंच ने संहिता के आदेश 9 नियम 13 के तहत प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर आवेदन को अनुमति दे दी, बशर्ते कि वे वादी को 10,000 रुपये की लागत का भुगतान करें। तदनुसार, दीवानी वाद को कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर निपटाने के लिए इसकी मूल फाइल में बहाल कर दिया गया था। यह इस आदेश के खिलाफ है, वादी ने व्यथित महसूस किया है और इस न्यायालय में विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपील दायर की है।

13. संक्षिप्त प्रश्न, जो इन अपीलों में विचार के लिए उठता है, यह है कि क्या डिवीजन बेंच ने दिनांक 25.02.2003 के प्रारंभिक डिक्री को संहिता के आदेश 9 नियम 13 के प्रयोजन के लिए "एकपक्षीय डिक्री" मानते हुए इसे रद्द कर दिया था।

14. पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुना।

15. पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुनने और मामले के रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद, हमें इन अपीलों में कोई दम नहीं मिला।

16. हमारी राय में, इन अपीलों में शामिल प्रश्न पर संहिता के आदेश 9 नियम 6 (ए) और आदेश 17 नियम 2 और 3 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

"आदेश 9 नियम 6 (1) (ए)

6. प्रक्रिया जब केवल वादी उपस्थित होता है- (1) जहां वादी उपस्थित होता है और प्रतिवादी सुनवाई के लिए बुलाए जाने पर उपस्थित नहीं होता है, तो- (ए) जब विधिवत समन दिया जाता है - यदि यह साबित हो जाता है कि समन विधिवत रूप से तामील किया गया था, तो अदालत एक आदेश दे सकती है कि मुकदमे को एकतरफा सुना जाए;

17. नियम 6 (1) (ए) में प्रावधान है कि जहां वादी उपस्थित होता है और प्रतिवादी सुनवाई के लिए बुलाए जाने पर उपस्थित नहीं होता है, तो यदि प्रतिवादी को विधिवत समन दिया जाता है, तो अदालत एक आदेश दे सकती है कि मुकदमे को एकतरफा सुना जाए।

18. आदेश 17 नियम 2 और 3 निम्नानुसार पढ़ें:

"आदेश 17 नियम 2 और 3

2. यदि पक्षकार निर्धारित दिन पर उपस्थित होने में विफल रहते हैं- जहां, किसी भी दिन जिस दिन वाद की सुनवाई स्थगित कर दी जाती है, पक्षकार या उनमें से कोई भी उपस्थित होने में विफल रहता है, तो न्यायालय आदेश 9 द्वारा उस संबंध में निर्देशित तरीकों में से एक में वाद का निपटान करने के लिए आगे बढ़ सकता है या ऐसा अन्य आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे।

स्पष्टीकरण- जहां किसी पक्ष के साक्ष्य या साक्ष्य का एक बड़ा हिस्सा पहले ही दर्ज किया जा चुका है और ऐसा पक्ष किसी भी दिन पेश होने में विफल रहता है, जिस दिन मुकदमे की सुनवाई स्थगित कर दी जाती है, अदालत अपने विवेक से, मामले के साथ आगे बढ़ सकती है जैसे कि ऐसा पक्ष उपस्थित था। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2019] 1 एस.सी.आर.

3. न्यायालय तब भी कार्यवाही कर सकता है जब तक कोई भी पक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहता है, आदि- जहां किसी मुकदमे का कोई पक्षकार, जिसे समय दिया गया है, अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहता है, या अपने गवाहों की उपस्थिति का कारण बनता है, या वाद की आगे की प्रगति के लिए आवश्यक कोई अन्य कार्य करने में विफल रहता है, जिसके लिए समय की अनुमति दी गई है, अदालत, ऐसी चूक के बावजूद, -

(क) यदि पक्षकार उपस्थित हैं, तो वाद पर तत्काल निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ें; नहीं तो

(बी) यदि पक्षकार हैं, या उनमें से कोई भी अनुपस्थित है, तो नियम 2 के तहत कार्रवाई करें।

19. संहिता के आदेश 17 नियम 2 में प्रावधान है कि जहां किसी भी दिन मुकदमे की सुनवाई स्थगित कर दी जाती है, पक्षकार या उनमें से कोई भी उपस्थित होने में विफल रहता है, तो न्यायालय आदेश 9 द्वारा उस संबंध में निर्देशित तरीकों में से किसी एक तरीके से वाद का निपटान करने के लिए आगे बढ़ सकता है या ऐसा अन्य आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे।

20. संहिता के आदेश 17 नियम 2 में संलग्न स्पष्टीकरण में प्रावधान है कि जहां किसी पक्ष के साक्ष्य या साक्ष्य का एक बड़ा हिस्सा पहले ही दर्ज किया जा चुका है और ऐसा पक्ष किसी भी दिन उपस्थित होने में विफल रहता है, जिस दिन मुकदमे की सुनवाई स्थगित की जाती है, अदालत अपने विवेक से, मामले के साथ आगे बढ़ सकती है जैसे कि वह पक्ष उपस्थित था।

21. हालांकि, संहिता के आदेश 17 नियम 3 में प्रावधान है कि जहां किसी मुकदमे का कोई पक्षकार, जिसे समय दिया गया है, अपने साक्ष्य पेश करने में विफल रहता है, या अपने गवाहों की उपस्थिति का कारण बनता है, या मुकदमे की आगे की प्रगति के लिए आवश्यक कोई अन्य कार्य करने में विफल रहता है, जिसके लिए समय की अनुमति दी गई है, न्यायालय, ऐसी चूक के बावजूद, (ए) यदि पक्षकार उपस्थित हैं, तो मुकदमे का निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ सकता है, या (बी) यदि पक्षकार हैं, या उनमें से कोई भी अनुपस्थित है, तो नियम 2 के तहत कार्यवाही कर सकता है।

22. संहिता के आदेश 17 नियम 2 और आदेश 17 नियम 3 का दायरा बी. जानकीरामैया चेट्टी बनाम ए. के. पार्थसारथी और अन्य, (2003) 5 एससीसी 641 के मामले में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया, जिसमें न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत ने पैरा 7 से 10 में आयोजित पीठ के लिए बोलते हुए निम्नानुसार कहा:

"7, यह निर्धारित करने के लिए कि आदेश 9 के तहत उपाय खो गया है या नहीं, यह देखने की आवश्यकता है कि क्या पहली बार में न्यायालय ने नियम 2 के स्पष्टीकरण का सहारा लिया था।

8. स्पष्टीकरण अदालत को अपने विवेकाधिकार में ऐसे मामले में आगे बढ़ने की अनुमति देता है जहां किसी भी पक्ष के साक्ष्य का पर्याप्त हिस्सा पहले ही दर्ज किया जा चुका है और ऐसा पक्ष किसी भी दिन पेश होने में विफल रहता है जिस दिन मुकदमे की सुनवाई स्थगित कर दी जाती है। जैसा कि प्रावधान से ही पता चलता है, अदालत को दी गई विवेकाधीन शक्ति का उपयोग किसी विशेष परिस्थिति में किया जाना है। प्रावधान के आवेदन के लिए, अदालत को खुद को संतुष्ट करना होगा कि: (ए) किसी भी पक्ष के साक्ष्य का पर्याप्त हिस्सा पहले ही दर्ज किया जा चुका है; (ख) ऐसा दल किसी भी दिन उपस्थित होने में विफल रहा है; और (ग) वह दिन है जब वाद की सुनवाई स्थगित की जाती है। नियम 2 अदालत को आदेश 9 में दिए गए किसी भी तरीके को अपनाने या ऐसा आदेश देने की अनुमति देता है जो वह उचित समझता है, जब किसी भी दिन मुकदमे की सुनवाई स्थगित कर दी जाती है, पक्षकार या उनमें से कोई भी उपस्थित होने में विफल रहता है। स्पष्टीकरण नियम के तहत दी गई सामान्य शक्ति के अपवाद की प्रकृति में है, जो अदालत को निर्दिष्ट परिस्थिति के तहत कार्य करने के लिए विवेकप्रदान करता है यानी जहां किसी भी पक्ष के साक्ष्य या साक्ष्य का एक बड़ा हिस्सा पहले ही दर्ज किया जा चुका है और ऐसा पक्ष उस तारीख को पेश होने में विफल रहता है जिस तारीख को मुकदमे की सुनवाई स्थगित कर दी गई है। यदि ऐसी तथ्यात्मक स्थिति है, तो अदालत अपने विवेक से ऐसा मान सकती है जैसे कि ऐसा पक्ष उपस्थित था। आदेश 9 नियम 3 के तहत

अदालत यह निर्देश दे सकती है कि मुकदमा तब खारिज कर दिया जाए जब मुकदमा सुनवाई के लिए बुलाए जाने पर कोई भी पक्ष उपस्थित न हो। नियम 2, 6 और 8 में निहित मुकदमे को खारिज करने के लिए अन्य प्रावधान हैं। हम मुख्य रूप से नियम 6 द्वारा कवर की गई स्थिति से चिंतित हैं। स्पष्टीकरण में महत्वपूर्ण शब्द हैं "मामले के साथ आगे बढ़ें"। इसलिए, तथ्यों पर प्रत्येक मामले में यह देखा जाना चाहिए कि क्या स्पष्टीकरण अदालत द्वारा लागू किया गया था या नहीं।

9. नियम 2 में, उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति "ऐसा आदेश दें जो वह उचित समझे", आदेश 9 द्वारा उस संबंध में निर्देशित तरीकों में से एक को अपनाने के विकल्प के रूप में। आदेश 17 नियम 3 (बी) के तहत, अदालत के लिए एकमात्र रास्ता नियम 2 के तहत आगे बढ़ना है, जब कोई पक्ष अनुपस्थित होता है। इसके स्पष्टीकरण से अदालत को नियम 3 के तहत आगे बढ़ने का विवेक ाधिकार मिलता है, भले ही कोई पक्ष अनुपस्थित हो। लेकिन इस तरह का रास्ता तभी अपनाया जा सकता है जब अनुपस्थित पक्ष पहले ही साक्ष्य या उसके एक बड़े हिस्से का नेतृत्व कर चुका हो। यदि स्थिति ऐसी नहीं है, तो अदालत के पास नियम 2 में दिए गए प्रावधान के अनुसार आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। नियम 2 और 3 परिस्थितियों के विभिन्न और विशिष्ट सेटों में काम करते हैं। नियम 2 तब लागू होता है जब एक स्थगन आम तौर पर दिया गया है और किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं। दूसरी ओर, नियम 3 वहां संचालित होता है जहां नियम में उल्लिखित उद्देश्यों में से एक के लिए स्थगन दिया गया है। जबकि नियम 2 निर्दिष्ट तरीकों में से एक में मुकदमे के निपटान की बात करता है, नियम 3 अदालत को मुकदमे पर तुरंत फैसला करने का अधिकार देता है। हालांकि, दोनों नियमों के बीच मूल अंतर यह है कि पहले में, कोई भी पक्ष सुनवाई में उपस्थित होने में विफल रहा है, जबकि बाद में पार्टी ने कोई एक या अधिक चूक की है। नियम 2 और नियम 3 के स्पष्टीकरण का संयुक्त प्रभाव यह है कि न्यायालय को एक विवेकाधिकार प्रदान किया गया है। प्रदान की गई शक्ति अनुमेय है और अनिवार्य नहीं है। स्पष्टीकरण एक अपमानजनक प्रावधान की प्रकृति में है, जब दी गई परिस्थितियों में, अनुपस्थित पक्ष को उपस्थित माना जाता है। 10. स्पष्टीकरण में महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति "जहां सबूत या किसी पार्टी के सबूत का एक बड़ा हिस्सा है"। इस विधायी अभिव्यक्ति में एक सकारात्मक उद्देश्य है। इसका स्पष्ट रूप से मतलब है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत अनुपस्थित पक्ष के रुख को साबित करने और मुकदमे के निपटान के लिए पर्याप्त हैं। अनुपस्थित पार्टी को इस स्पष्ट उद्देश्य के लिए उपस्थित माना जाता है। स्पष्टीकरण के तहत कार्य करते हुए अदालत मामले के साथ आगे बढ़ सकती है यदि यह प्रथम दृष्टया स्थिति है। अदालत को इस अपेक्षित पहलू के बारे में प्रत्येक मामले के तथ्यों पर संतुष्ट होना होगा। अदालत के लिए यह भी जरूरी होगा कि वह उस परिप्रेक्ष्य में अपनी संतुष्टि दर्ज करे। यह नहीं कहा जा सकता है कि स्पष्टीकरण को लागू करने के लिए साक्ष्य के पर्याप्त हिस्से या साक्ष्य की आवश्यकता बिना किसी उद्देश्य के है। यदि मुकदमे के निपटारे के लिए रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत पर्याप्त हैं, तो मुकदमे को स्थगित करने या निर्णय को स्थगित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

23. अब जब हम बी जानकीरामैया चेट्टी (सुप्रा) के मामले में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए मामले के तथ्यों की जांच करते हैं, तो हम पाते हैं कि वादी के साक्ष्य दर्ज किए गए थे और उसका मामला भी बंद कर दिया गया था। यह विवाद में नहीं है कि प्रतिवादियों को उस तारीख को एकतरफा रखा गया था जब प्रतिवादियों के साक्ष्य दर्ज करने के लिए मामला तय किया गया था, लेकिन उक्त तारीख पर प्रतिवादियों की अनुपस्थिति के कारण इसे दर्ज नहीं किया गया था। दूसरे शब्दों में, यह एक ऐसा मामला था जहां प्रतिवादियों ने किसी भी सबूत का नेतृत्व नहीं किया।

24. मामले में उत्पन्न होने वाली ऐसी स्थिति में, हमारे विचार में, मामला संहिता के आदेश 17 नियम 2 के स्पष्टीकरण के तहत नहीं आएगा क्योंकि स्पष्टीकरण को आकर्षित करने के लिए, "ऐसा पक्ष" जिसने साक्ष्य का नेतृत्व किया है या साक्ष्य का पर्याप्त हिस्सा नेतृत्व किया है, यदि किसी भी दिन पेश होने में विफल रहता है जिस दिन मामले की सुनवाई स्थगित कर दी जाती है, न्यायालय "ऐसे पक्ष" को उस दिन "उपस्थित" के रूप में मान सकता है और तदनुसार मुकदमे में आगे बढ़ने का अधिकार है।

25. इस मामले में, पक्ष, जो अनुपस्थित था और एकतरफा कार्यवाही की गई थी, "प्रतिवादी" था और उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया था, जबकि यह वादी था, जो मौजूद था और उसने अपने साक्ष्य का नेतृत्व किया था।

26. दूसरे शब्दों में, यदि वादी अनुपस्थित रहा था और उसे साक्ष्य का नेतृत्व करते हुए पाया गया था, तो न्यायालय उचित आदेश पारित करने के लिए वादी को "उपस्थित" मानते हुए संहिता के आदेश 17 नियम 2 के स्पष्टीकरण के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता था। हालांकि, यहां ऐसा नहीं है।

27. इसी तरह, इसके विपरीत, यदि प्रतिवादी उस तारीख को अनुपस्थित रहे थे (जैसा कि इस मामले में हुआ है) और यदि यह देखा गया होगा कि उन्होंने उस तारीख से पहले पूरी तरह से या काफी हद तक सबूत ो को जोड़ा था, जिस तारीख को उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी, तो अदालत उस दिन प्रतिवादियों को उचित पारित करने के लिए "उपस्थित" मानते हुए संहिता के आदेश 17 नियम 2 के स्पष्टीकरण के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकती थी। मुकदमे में आदेश। हालांकि, यहां ऐसा नहीं है।

28. इसलिए, हमारा विचार है कि चूंकि प्रतिवादियों पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी और उन्हें मुकदमे में कोई सबूत नहीं देते हुए पाया गया था, इसलिए न्यायालय केवल संहिता के आदेश 9 द्वारा निर्देशित तरीकों में से एक का सहारा लेकर मुकदमे के निपटान के लिए आदेश 17 नियम 3 (बी) के साथ संहिता के नियम 2 के तहत आगे बढ़ सकता है या कोई भी कर सकता है। अन्य क्रम जैसा कि यह उचित लगता है।

29. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ट्रायल कोर्ट ने संहिता के आदेश 17 नियम 2 के संदर्भ में आदेश 9 नियम 6 (ए) का सहारा लेते हुए मुकदमे की एकतरफा सुनवाई शुरू की क्योंकि उस दिन, वादी उस समय मौजूद था जब मुकदमे को सुनवाई के लिए बुलाया गया था, जबकि प्रतिवादी समन की सेवा के बावजूद अनुपस्थित थे और तदनुसार ट्रायल कोर्ट ने प्रारंभिक डिक्री पारित की। हमारी राय में, इस तरह की डिक्री, संहिता के आदेश 9 नियम 6 (ए) के अर्थ के भीतर एक "एकतरफा डिक्री" थी और इसलिए, प्रतिवादियों द्वारा पर्याप्त आधार बनाने पर आदेश 9 नियम 13 के तहत रद्द किया जा सकता है।

30. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि खंडपीठ ने संहिता के आदेश 9 नियम 13 के तहत प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर आवेदनों को अनुमति देना उचित था और परिणामस्वरूप, उक्त डिक्री को "एकतरफा डिक्री" मानते हुए ओएस नंबर 131/1999 में पारित 25.02.2003 के प्रारंभिक डिक्री को रद्द करना उचित था।

31. जहां तक एकपक्षीय डिक्री को निरस्त करने के लिए पर्याप्त आधार के प्रश्न पर निष्कर्ष का संबंध है, यह कहना पर्याप्त है कि यह तथ्य का विशुद्ध प्रश्न होने के कारण इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के सवाल पर एक निष्कर्ष इस न्यायालय के लिए बाध्यकारी है। इसके अलावा, हम पाते हैं कि डिवीजन बेंच ने प्रतिवादी नंबर 1 पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जो वादी को एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए देय है। इसलिए, प्रतिवादी नंबर 1 को वादी को लागत का भुगतान करना होगा।

32. पूर्वगामी चर्चा के परिणामस्वरूप, हमें इन अपीलों में कोई दम नहीं मिला, जिन्हें तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

33. ट्रायल कोर्ट (एकल न्यायाधीश) को अब निर्देश दिया जाता है कि वह कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर मूल वाद संख्या 131/1999 पर निर्णय ले, अधिमानतः एक वर्ष की अवधि के भीतर, एक बाहरी सीमा के रूप में। चूंकि मूल वादी की मृत्यु हो चुकी है और उसके कानूनी प्रतिनिधियों को पहले से ही इन अपीलों में रिकॉर्ड पर लाया गया है, इसलिए ट्रायल कोर्ट वादी को वाद में कारण शीर्षक में संशोधन करने और कानूनी प्रतिनिधियों (यहां अपीलकर्ताओं) को रिकॉर्ड पर लाने की अनुमति देगा ताकि वे कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर मुकदमा चला सकें।

अपील खारिज कर दी गई।

इला देओल, एडवोकेट